



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14911

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 668/2026

अनूप सिंह

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 2006 में जेल वार्डर के रूप में तैनात किया गया था, हालांकि, 16.09.2025 को वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय जेल मुरादाबाद ने रिट याचिकाकर्ता को विशेष ड्यूटी के लिए मोराबाद से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कुछ समस्याएं हैं जिनका रिट याचिकाकर्ता के परिवार को सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार मुरादाबाद वापस भेजे जाने के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।
4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पहली बार में किया जाना है।
5. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष आदेश की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा, आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 को पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।

6. सुरक्षा केवल तभी उपलब्ध होगी, जब रिट याचिकाकर्ता संबंधित पद में शामिल हो जाएगा।

21 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)